१५-४-18 पत्रावली वकील वादी के निवेदन पर आज तलब की गई। वकील वादी ने बताया हैं कि तहसीलदार से प्राप्त बँटवारा प्रस्ताव में प्रस्तावित करते हुए ख. नं. 49/1, 51/1 कुल रकबा 3.01 हैं० भूमि में प्रतिवादी 4 से 6 का हिस्सा प्रत्येक का 1/12 हिस्सा अंकित कर दिया जबकि वास्तविक में 1/4, 1/4 हिस्सा हैं प्रतिवादी 7, 8 का हिस्सा 1/24, 1/24 अंकित कर दिया जबकि 1/8, 1/8 हिस्सा अंकित होना था। इसी प्रकार प्रस्तावित खसरा नम्बर 49/2, 51/2 कुल रकबा 3.00 हैं भूमि में वादी व प्रतिवादी 1, 2 का हिस्सा 1/12 अंकित कर दिया जबकि 1/4, 1/4 हिस्सा अंकित कर दिया गया जो मात्र लिपिकिय त्रुटि वश अंकित कर दिया हैं जिसके कारण निर्णय व डिक्री पर्चा में भी इसीप्रकार गलत अंकित होगया जिससे रिकार्ड व डिक्री का मिलान नहीं होने से अमल दरामद नहीं हो रहा हैं जिसे दुरुस्त कर संशोधित डिक्री पर्चा जारी करने का निवेदन किया है।

पत्रावली एवं पत्रावली व राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट हैं कि उक्त वर्णित भूमि में 1/4, 1/4 हिस्सा ही खातेदारी में बँटवारा स्कीम तैयार करते समय सहवन से 1/12 - 1/12 हिस्सा अंकित होगया हैं बँटवारा प्रस्ताव में लिपिकिय त्रुटि से हिस्सा गलत हो जाने निर्णय व डिक्री पर्चा में भी हिस्सा गलत अंकित हो गया हैं जो दुरुस्त योग्य है।

अतः दरख्वास्त स्वीकार की जाकर निर्णय दिनांक 7.2.18 व डिक्री पर्चा में दर्ज ख.नं. 49/1, 51/1 कुल रकबा 3.01 हैं. भूमि घोषित हिस्सा 1/12, 1/12 के स्थान पर प्रतिवादी 4 से 6 का हिस्सा 1/4, 1/4 पढ़ा जावे प्रतिवादी 7, 8 का हिस्सा 1/8, 1/8 पढ़ा जावें तथा ख. नं. 49/2, 51/2 कुल रकबा 3.00 हैं० भूमि में वादी व प्रतिवादी 1, 3 का हिस्सा 1/12 के स्थान पर 1/4, 1/4 पढ़ा जाकर दुरुस्त किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

ह

उपखण्ड अधिकारी
नावां